

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ

बनाम राजु लाल

वर्द / प्रा०प० / अपील 17/18 प्र०सं०

/15

वर्द जॉच वर्द / प्रा०प० / अपील प्रस्तुत हुई, जिसका प्रकरण दर्ज रजिस्टर
विधिवत् प्रक्रियानुसार विपक्षीगणों / अप्रार्थीगणों को जरिये तलवाना
हो, पत्रावली वास्ते सुनवायी हेतु दिनांक 28.3.18 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ

पत्रावली पेश उपखण्ड

अधीनस्थ अधिकारी जी

पत्रावली पेश

दिनांक 11.4.18 को पेश हो।

आदेश से तैयार

पत्रावली पेश / पत्राला) अलग से

लिखा जा कर शामिल पत्रावली विषय

पत्रावली पत्राला) समाप्त हो कर जा

से नाम हो

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ, भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ़
पीठासीन अधिकारी चिन्मयी गोपाल (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 17/2018

शैलेन्द्र पिता शान्तिलाल हींगड निवासी बसंत विहार भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा।

-प्रार्थी

बनाम

श्री राजूलाल पिता देबीलाल भाम्बी, निवासी हमीरगढ़ तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाडा।
राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ़।

-अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राज. भू.-राज.अधि., 1956
निर्णय दिनांक 11.04.2018

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राज. भू.-राज.अधि., 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 09.02.2018 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम हमीरगढ़ प0म0 हमीरगढ़ तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाडा के आराजी नम्बर 1329/3 रकबा 09 बिस्वा भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ौसी है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 12.02.2018 को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित विपक्षी संख्या 01 से बावजूद विधिवत प्रक्रियानुसार सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त उपस्थित नहीं है। अतः न्यायहित में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण का अवलोकन से यह बात है कि प्रार्थी का स्वयं के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नहीं है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्व निर्धारित किए जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम हमीरगढ़ प0म0 हमीरगढ़ तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाडा के आराजी नम्बर 1329/3 रकबा 09 बिस्वा भूमि की पत्थरगढी राजस्थान लैण्ड रिकॉर्ड नियम 1956 के प्रावधानों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नियमानुसार निर्धारित शुल्क 100/-रु० पक्षकार - प्रार्थीगण राजकोष में जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 800/- रु० की नियमानुसार अदायगी प्रार्थी पक्षकार निर्धारित कमिश्नर को भुगतान करें।

आदेश आज दिनांक 11.04.2018 को खुला न्यायालय में सुनाया जाकर लिखा गया। प्रकरण फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर रहें।

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ़
उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ़, भीलवाडा